

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड(ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 25, 1969 भाघ 5, 1890

No. 31]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 25, 1969/MAGHA 5, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 22nd January 1969

S.O. 379.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Inter-State Corporations Act, 1957 (38 of 1957), the Central Government after consulting the Governments of the States of Haryana and Punjab and the Administrators of the Union territories of Himachal Pradesh and Chandigarh, approves with certain modifications the scheme forwarded by the Government of Punjab relating to the reorganisation of the Punjab Khadi and Village Industries Board, a corporation constituted under the Punjab Khadi and Village Industries Board Act, 1955 (Punjab Act 40 of 1956), and functioning in the States of Haryana and Punjab, the Union territory of Chandigarh and the territories transferred to the Union territory of Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966) and for the purpose of giving effect to the scheme so approved, the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

PART I—Preliminary

1. **Short title.**—This Order may be called the Punjab Khadi and Village Industries Board (Reorganisation) Order, 1969.

2. **Definitions.**—(1) In this Order, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Punjab Khadi and Village Industries Board Act, 1955 (Punjab Act 40 of 1956);

(b) “Administrator” means the Administrator of the Union territory of Chandigarh;

- (c) "appointed day" means the 1st day of February 1969;
 - (d) "existing Board" means the Punjab Khadi and Village Industries Board established under the Act and functioning and operating before the appointed day in the areas comprised in the erstwhile State of Punjab before the 1st November 1966;
 - (e) "Haryana Board" means the Board established for the State of Haryana under paragraph 3(2) of this Order;
 - (f) "Himachal Board" means the Himachal Khadi and Village Industries Board constituted under the Himachal Pradesh Khadi and Village Industries Board Act, 1968 (Himachal Pradesh Act 8 of 1968);
 - (g) "Punjab Board" means the Punjab Khadi and Village Industries Board as reconstituted under paragraph 3(1) of this Order;
 - (h) "successor Board" in relation to the existing Board means the Punjab Board, the Haryana Board, the Himachal Board and the Administrator of the Union territory of Chandigarh exercising the powers and functions of the Board in relation to that Union territory and the area of operation of the Punjab Board shall mean the State of Punjab, the area of operation of the Haryana Board shall mean the State of Haryana, the area of operation of the Himachal Board shall mean the transferred territory and the area of operation of the Administrator, shall mean the Union territory of Chandigarh;
 - (i) "transferred territory" means the territory transferred to the Union territory of Himachal Pradesh by virtue of sub-section (1) of section 5 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966);
 - (j) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.
- (2) Where any asset or liability is required to be apportioned among the successor Boards under this Order in "population ratio" the apportionment shall be made between the Punjab Board, Haryana Board, the Himachal Board and the Administrator in the ratio of 54.84 to 37.38 to 7.19 to 9.59.

PART II—Reorganisation of the Punjab Khadi and Village Industries Board

3. Reorganisation of the existing Board, constitution of a new Board for Haryana, etc.—On and from the appointed day:—

- (1) (a) the existing Board shall cease to function and operate in the State of Haryana, the transferred territory and the Union territory of Chandigarh;
- (b) the following members of the existing Board from the State of Haryana, transferred territory and the Union territory of Chandigarh shall cease to be members thereof, namely:—
 1. Shri Om Dutt, Khadi Ashram, Panipat.
 2. Shri Om Prakash Trikha, Director, Gandhi Memorial Fund, Patti Kalayana, District Karnal.
 3. Shri K. P. Nayyar, Superintendent, Cluster Centre, Simla-2.
 4. Mahashaya Banarsi Des (Thanesar), Chairman-designate, Haryana Khadi and Village Industries Board.
 5. Shri H. K. Jain, Secretary, Haryana Electricity Board.
 6. Home Secretary, Chandigarh Administration, and accordingly the existing Board so reconstituted shall be deemed to be the Board for the State of Punjab under the Act;
- (2) there shall be established a new Board under the Act to be known as the Haryana Khadi and Village Industries Board for the State of Haryana;
- (3) the Himachal Board shall be deemed to be the Board under the Act for the transferred territory and shall exercise the powers and perform the functions of the Board for the said territory; and

- (4) the Administrator shall be deemed to be the Board under the Act for the Union territory of Chandigarh and shall exercise the powers and perform the functions of the Board for the said Union territory

PART III—Apportionment of Assets and Liabilities

4. Land and goods:—(1) Subject to the other provisions of this Part, all land and stores, articles and other goods belonging to the existing Board shall pass to the successor Board in whose area of operation they are situated.

Explanation.—In this sub-paragraph, the expression "land" includes immovable property of every kind and any rights in or over such property.

(2) Stores held for specific purposes to be used or consumed in particular office (other than the Headquarters office) centre, workshop or undertaking of the existing Board shall pass to the successor Board in whose area of operation such office, centre, workshop or undertaking is located.

(3) Stores relating to the headquarters office of the existing Board shall be divided amongst the successor Boards in population ratio:

Provided that where such ratio cannot be applied in respect of any class of stores, a committee consisting of the representatives of the Governments of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh and the Administrator may apportion such stores subject to such adjustments being made in the division of cash and bank balances as it may determine.

5. Right to recover loans and advances.—The right to recover any loans and advances made before the appointed day by the existing Board to any local body, society or individual shall belong to the successor Board in whose area of operation the headquarters or the registered office of the local body or the society is located, or the individual resides:

Provided that the right to recover loans or advances made to an officer or servant of the Board shall pass to the successor Board to which the officer or servant is allotted under Part IV of this Order.

6. Assets and liabilities of undertakings of existing Board.—The assets and liabilities relating to any commercial or industrial undertaking of the existing Board shall pass to the successor Board in whose area of operation the undertaking is located:

Provided that the assets and liabilities relating to the commercial undertaking known as "the Punjab Spinning and Weaving Centres" which is under the process of liquidation shall pass to the Punjab Board in the first instance and on completion of final settlement the residuary asset or liability shall be divided among the successor Boards in population ratio.

7. Debt of existing Board.—(1) The debt of the existing Board attributable to loans taken from the Khadi and Village Industries Commission and re-lent to any local body, society or individual, which may be outstanding immediately before the appointed day shall be the debt of the successor Board in whose jurisdiction, the headquarters or the registered office of such local body or society is located or the individual resides.

(2) The debt of the existing Board attributable to loans taken from the Khadi and Village Industries Commission and utilised for the purpose of acquiring stocks or raw materials and implements for supply to societies and individuals shall be divided amongst the successor Boards in the proportion in which the said stocks or raw materials and implements are divided under the provision of paragraph 4.

8. Security deposits of employees.—(1) The liability of the existing Board in respect of the security deposits of an employee in the service of the said Board on the appointed day shall be the liability of the successor Board to which the employee is allotted under Part IV of this Order.

(2) The liability of the existing Board in respect of the security deposits of an employee who has retired or has been discharged before the appointed day shall be the liability of the Punjab Board.

9. **Cash balance of the existing Board.**—The residuary cash balance of the existing Board immediately before the appointed day shall be divided amongst the successor Boards in population ratio after making adjustments in the accounts, as contemplated in the proviso to sub-para (3) of paragraph 4.

10. **Items in suspense.**—If any item in suspense is ultimately found to affect an asset or liability of the nature referred to in any of the foregoing provisions of this Part, it shall be dealt with in accordance with that provision.

11. **Residuary provision.**—The benefit or burden of any assets or liabilities of the existing Board not dealt with in the foregoing provisions of this Part shall pass to the Punjab Board in the first instance, subject to such financial adjustment as may be agreed upon amongst all the successor Boards before the 31st day of March, 1970, or in default of such agreement, as the Central Government may by order, direct.

12. **Apportionment of assets and liabilities by agreement.**—Where the successor Boards agree that the benefit or burden of any particular asset or liability should be apportioned between them in a manner other than that provided for in the foregoing provisions of this Part, then notwithstanding anything contained therein, the benefit or burden of that asset or liability shall be apportioned in the manner agreed upon.

13. **Division to be on basis of audited accounts.**—Division of assets and liabilities of the existing Board among the successor Boards shall be effected on the basis of the audited accounts as on the appointed day.

14. **Legal proceedings.**—Where immediately before the appointed day the existing Board is a party to any legal proceedings with respect to any property, rights or liabilities transferred to the successor Board under this Order, the successor Board shall be deemed to be substituted for the existing Board as a party to those proceedings, and the proceedings continued accordingly.

15. **Contracts.**—Where immediately before the appointed day the existing Board had made any contract, the contract shall be deemed to have been made—

- (a) if the purposes of the contract are, as from the appointed day, exclusively relatable to the State of Punjab, by the Punjab Board;
- (b) if the purposes of the contract are, as from the appointed day, exclusively relatable to the State of Haryana, by the Haryana Board;
- (c) if the purposes of the contract are, as from the appointed day, exclusively relatable to the transferred territory, by the Himachal Board;
- (d) if the purposes of the contract are, as from the appointed day, exclusively relatable to the Union territory of Chandigarh, by the Administrator;
- (e) in any other case, by the Punjab Board; and all rights or liabilities which have accrued, or may accrue, under any such contract shall, to the extent of which they would have been the rights or liabilities of the existing Board, be the rights or liabilities of the Punjab Board, the Haryana Board, the Himachal Board and the Administrator, as the case may be.

PART IV—Provisions as to services

16. **Allocation of staff.**—The members of the staff at the headquarters office of the existing Board shall be allocated by the existing Board to the successor Boards after taking into consideration the options of the employees as far as may be possible and on and from the appointed day such a person shall be deemed to have been transferred to the successor Board to which he has been allocated.

17. **Continuance of persons in the same posts.**—Save as provided in para 16, every person who immediately before the appointed day is holding or discharging duties of any post or office in connection with the affairs of the existing Board in any area which on and from that day falls within the jurisdiction of any of the successor Boards, shall be deemed to have been transferred to that Board and shall continue to hold the same post or office in the successor Board and shall be deemed, on and from that day, to have been duly appointed to the post or office by the appropriate authority in that successor Board.

18. **Counting of service.**—(1) The service rendered by every person to the existing Board upto the appointed day shall, on his transfer to a successor Board under paragraph 16 or paragraph 17 count as service under the successor Board for leave, gratuity, provident fund and all other benefits which were enjoyed by such person immediately before the appointed day.

(2) Nothing in this paragraph shall be deemed to effect the right of the successor Board to determine, after the appointed day, the conditions of service of persons transferred to it under paragraphs 16 and 17:

Provided that the conditions of service applicable immediately before the appointed day to the case of any such person shall not be varied to his disadvantage except with the previous approval of the Central Government.

PART V—Adaptations

19. **Adaptations and modifications in the Act.**—As from the appointed day, the Act shall, until altered, repealed or amended by a competent legislature, have effect subject to the adaptations or modifications made in the Schedule annexed hereto.

THE SCHEDULE

(See paragraph 19)

The Punjab Khadi and Village Industries Board Act, 1955 (Punjab Act 40 of 1956)

1. **Section 1.**—For sub-section (2) of section 1, the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(2) It extends to the territories which immediately before the 1st day of November 1966 were comprised in the erstwhile State of Punjab.”

2. In Section 2, after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely:—

“(vii) ‘transferred territory’ means the territory transferred to the Union territory of Himachal Pradesh by virtue of sub-section (1) of section 5 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (Act 31 of 1966)”

3. After section 2, the following section shall be inserted, namely:—

“2A. **Construction of certain references in the Act.**—In the application of the provisions of this Act.—

(1) to the State of Haryana, any reference therein to any expression mentioned in column (1) of the Table below shall be construed as a reference to the corresponding expression mentioned in column (2) of the said Table.

TABLE

(1)	(2)
State Government or Government	The Government of the State of Haryana
State of Punjab except in section 1 of the Act	State of Haryana
Punjab Khadi and Village Industries Board	Haryana Khadi and Village Industries Board
Official Gazette	Official Gazette of the Government of Haryana;

(2) to the transferred territory, any reference therein to any expression mentioned in column (1) of the Table below shall be construed as a reference to the corresponding expression mentioned in column (2) of the said Table.

TABLE

(1)	(2)
State Government or Government of the State of Punjab except in section 1 of the Act	Administrator of Himachal Pradesh Transferred territory
Punjab Khadi and Village Industries Board	Himachal Khadi and Village Industries Board
Official Gazette	Official Gazette of the Government of Himachal Pradesh

(3) to the Union territory of Chandigarh, any reference therein to any expression mentioned in column (1) of the Table below shall be construed as a reference to the corresponding expression mentioned in column (2) of the said Table.

TABLE

(1)	(2)
State Government or Government of the State of Punjab except in section 1 of the Act	Administrator of the Union territory of Chandigarh
Punjab Khadi and Village Industries Board	Union territory of Chandigarh
Official Gazette	Administrator of the Union territory of Chandigarh
	Official Gazette of the Chandigarh Administration"

4. After section 3, the following sections shall be inserted, namely :—

3A. Powers of the Board in respect of the transferred territory.—Notwithstanding anything contained in this Act, the Himachal Khadi and Village Industries Board constituted under the Himachal Pradesh Khadi and Village Industries Board Act, 1966 (Himachal Pradesh Act 8 of 1966) shall, until the constitution of a Board under section 3, be deemed to be the Board constituted under this Act and accordingly shall perform the functions, discharge the duties and exercise the powers of such Board.

3B. Powers of the Board in respect of the Union territory of Chandigarh.—Notwithstanding anything contained in this Act, the Administrator of the Union territory of Chandigarh shall, until the constitution of a Board under section 3 be deemed to be the Board constituted under this Act and accordingly shall perform the functions, discharge the duties and exercise the powers of such Board".

[No. F. 17/107/66-S.R.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

प्रावश

नई दिल्ली, 22 जनवरी 1969

एस० नो० 380.—अन्तर्राष्ट्रीय निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 38) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई

स्कीम को, जिसका संबंध पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के जो पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 (1956 का पंजाब अधिनियम 40) के अधीन गठित एक विंग है पुनर्गठन में है और जो हरियाणा और पंजाब राज्यों, चण्डीगढ़ के संघ राज्यक्षेत्र और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र की अन्तर्गत राज्य क्षेत्रों में कृत्य-शील हैं, हरियाणा और पंजाब राज्यों की सरकारों तथा हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ के संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासकों से परामर्श करने के पश्चात् कुछ उपायों सहित अनुमोदित करनी है और ऐसे अनुमोदित स्कीम को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार पत्रद्वारा निम्नलिखित आदेश करनी है, अर्थात् :—

भाग 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम—यह आदेश पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (पुनर्गठन) आदेश, 1969, कहा जा सकेगा।

2. परिभाषा—(1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

- (क) “अधिनियम” से पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 (1956 का पंजाब अधिनियम 40) अभिप्रेत है;
- (ख) “प्रशासक” से चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;
- (ग) “नियत दिन” से 1969 की 1 फरवरी, का दिन अभिप्रेत है;
- (घ) “विद्यमान बोर्ड” से अधिनियम के अधीन स्थापित और पहली नवम्बर, 1966 से पूर्व भूतपूर्व पंजाब राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में नियत दिन से पूर्व कृत्यशील और कार्यरत पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ङ) “हरियाणा बोर्ड” से इस आदेश के पैरा 3(2) के अधीन हरियाणा राज्य के लिए स्थापित बोर्ड अभिप्रेत है;
- (च) “हिमाचल बोर्ड” से हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 (1966 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम 8) के अधीन गठित हिमाचल खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अभिप्रेत है;
- (छ) “पंजाब बोर्ड” से इस आदेश के पैरा 3(1) के अधीन यथा पुनर्गठित पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ज) “उत्तरवर्ती बोर्ड” से विद्यमान बोर्ड के संबंध में पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, हिमाचल बोर्ड और चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक जो उस संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करता है, अभिप्रेत है तथा पंजाब बोर्ड के कार्यक्षेत्र से पंजाब राज्य अभिप्रेत होगा, हरियाणा बोर्ड के कार्यक्षेत्र से हरियाणा राज्य अभिप्रेत होगा, हिमाचल बोर्ड के कार्यक्षेत्र से अन्तर्गत राज्यक्षेत्र अभिप्रेत होगा और प्रशासक के कार्यक्षेत्र से चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत होगा;
- (झ) “अन्तर्गत राज्यक्षेत्र” से पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 की उपधारा (1) के आधार पर हिमाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र की अन्तर्गत राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

(अ) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में समनुवित है।

- (2) जहाँ कि किसी आस्ति या दायित्व का इस आदेश के अधीन उत्तरवर्ती बोर्डों में "जनसंख्या के अनुपात में" प्रभाजन किया जाना अपेक्षित है, वहाँ पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, हिमाचल बोर्ड और प्रशासक के बीच प्रभाजन क्रमशः 51, 84, 37, 38, 7, 19 और 0.59 के अनुपात में किया जायेगा।

भाग 2

पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का पुनर्गठन

3. विद्यमान बोर्ड का पुनर्गठन, हरियाणा के लिये नये बोर्ड का गठन आदि—नियत दिन की ओर से :—

- (1) (क) विद्यमान बोर्ड हरियाणा राज्य, अन्तर्गत राज्यक्षेत्र और चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में क्रियशील रहता और कार्य करना बन्द कर देगा ;

(ख) विद्यमान बोर्ड के हरियाणा राज्य, अन्तर्गत राज्यक्षेत्र और चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के निम्नलिखित सदस्य उसके सदस्य नहीं रह जायेंगे, अर्थात् :—

1. श्री ओमवत्त, खादी आश्रम, पालीपत ।
2. श्री ओम प्रकाश विखा, निदेशक, गांधी स्मारक निधि, पट्टी कान्हायन, जिला करनाल ।
3. श्री के० पी० नथर, अधीक्षक, कलस्टर सेन्टर, शिमला-2
4. महाशय बनारसी दास (थानेसर), अभिहित अध्यक्ष, हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ।
5. श्री एच० के० जैन, सचिव, हरियाणा विद्युत् बोर्ड ।
6. गृह सचिव, चण्डीगढ़ प्रशासन ।

और तदनुसार ऐसे पुनर्गठित विद्यमान बोर्ड को अधिनियम के अधीन पंजाब राज्य के लिए बोर्ड समझा जायेगा :

- (2) अधिनियम के अधीन हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड नामक एक नया बोर्ड हरियाणा राज्य के लिए स्थापित किया जायेगा ;
- (3) हिमाचल बोर्ड को अन्तर्गत राज्यक्षेत्र के लिए अधिनियम के अधीन बोर्ड समझा जायेगा और वह उक्त राज्यक्षेत्र के लिए बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का पालन करेगा ; तथा
- (4) प्रशासक का चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के लिए अधिनियम के अधीन बोर्ड समझा जायेगा और वह उक्त संघ राज्यक्षेत्र के लिए बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का पालन करेगा ।

भाग 3

आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन

4. भूमि और माल:—(1) इस भाग के अन्य उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, विद्यमान बोर्ड की सभी भूमि और स्टोर, वस्तुएं और अन्य माल उस उत्तरवर्ती बोर्ड को संक्रान्त हो जायेंगे जिसके कार्यक्षेत्र में वे स्थित हैं।

स्पष्टीकरण:—इस उप-पैरा में, “भूमि” पद के अन्तर्गत हर किस्म की स्थावर सम्पत्ति और ऐसी सम्पत्ति में, या पर, के सभी अधिकार हैं।

(2) विद्यमान बोर्ड के (मुख्यालय के कार्यालय से भिन्न) विशिष्ट कार्यालय, केन्द्र, कर्मशाला या उपक्रम में उपयोग में आने वाले या उसमें उपयुक्त होने वाले, विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए धारित स्टोर उस उत्तरवर्ती बोर्ड को संक्रान्त हो जायेंगे जिसके कार्यक्षेत्र में ऐसा कार्यालय, केन्द्र, कर्मशाला या उपक्रम स्थित है।

(3) विद्यमान बोर्ड के मुख्यालय के कार्यालय से सम्बद्ध स्टोर जनसंख्या के अनुपात में उत्तरवर्ती बोर्डों के बीच विभाजित किए जायेंगे :

परन्तु जहां कि किसी वर्ग के स्टोरों के संबंध में ऐसा अनुपात लागू नहीं किया जा सकता, वहां एक समिति, जिसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के और प्रशासक के प्रतिनिधि होंगे, ऐसे स्टोरों का प्रभाजन इस बात के अध्याधीन रहते हुए कर सकेगी कि नकदी और बैंक अतिशेषों के विभाजन में ऐसे समायोजन किये जायेंगे जैसे वह अवधारित करें।

5. उधारों और अधिदायों को वसूल करने का अधिकार:—विद्यमान बोर्ड द्वारा किसी स्थानीय निकाय, सोसायटी या व्यक्ति को नियत दिन से पूर्व दिये गये किन्हीं उधारों और अधिदायों को वसूल करने का अधिकार उस उत्तरवर्ती बोर्ड को होगा जिसको कार्यक्षेत्र में उस स्थानीय निकाय, या सोसायटी का मुख्यालय या रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है या वह व्यक्ति निवास करता है :

परन्तु बोर्ड के आफिसर या सेवक को दिये गये उधारों या अधिदायों को वसूल करने का अधिकार उस उत्तरवर्ती बोर्ड को संक्रान्त हो जायेगा जिसको वह आफिसर या सेवक इस आदेश के भाग 4 के अधीन आबंटित किया जाए।

6. विद्यमान बोर्ड के उपक्रमों की आस्तियां और दायित्व:—विद्यमान बोर्ड के किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम से सम्बद्ध आस्तियां और दायित्व उस उत्तरवर्ती बोर्ड को संक्रान्त हो जायेंगे जिसके कार्यक्षेत्र में वह उपक्रम स्थित है :

परन्तु ‘दि पंजाब स्प्रीनिंग एण्ड वीविंग सेन्टर्स’ नामक वाणिज्यिक उपक्रम, जिसका समापन किया जा रहा है, से सम्बद्ध आस्तियां और दायित्व प्रथमतः पंजाब बोर्ड को संक्रान्त हो जायेंगे और अंतिमपरि निर्धारण पूरा हो जाने पर अवशिष्ट आस्ति या दायित्व जनसंख्या के अनुपात में उत्तरवर्ती बोर्डों के बीच विभाजित किये जायेंगे।

7. विद्यमान बोर्ड के ऋण:—(1) विद्यमान बोर्ड का वह ऋण, जो खावी और ग्रामोद्योग आयोग से लिये गये उधारों के फलस्वरूप हुआ माना जा सकता है और किसी स्थानीय निकाय, सोसायटी या व्यक्ति को पुनः उधार दिया गया है, जो नियत दिन से अव्यवहित पूर्वपरादेय हो, उस उत्तरवर्ती बोर्ड

का ऋण होगा जिसकी अधिकारिता में ऐसे स्थानीय निकाय या सोसायटी का मुख्यालय या रजिस्ट्री-कृत कार्यालय स्थित है या वह व्यक्ति निवास करता है ।

(2) विद्यमान बोर्ड का वह ऋण, जो खादी और ग्रामीणोद्योग आयोग से लिये गये उधारों के फलस्वरूप हुआ माना जा सकता है और सोसाइटियों और व्यक्तियों को प्रदाय करने के लिए स्टॉकों या कच्ची सामग्री और उपकरणों का अर्जन करने के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया गया है उस अनुपात में उत्तरवर्ती बोर्डों के बीच विभाजित किये जायेंगे जिस अनुपात में उक्त स्टॉक या कच्ची सामग्री और उपकरण पैरा 4 के उपबन्ध के आधीन विभाजित किये जाते हैं ।

8. कर्मचारियों के प्रतिभूति निक्षेप:—(1) विद्यमान बोर्ड का, नियत दिन को उक्त बोर्ड की सेवा में के किसी कर्मचारी के प्रतिभूति निक्षेपों के सम्बन्ध में दायित्व उस उत्तरवर्ती बोर्ड का दायित्व होगा जिसे वह कर्मचारी इस आदेश के भाग 4 के अधीन आवंटित किया गया है ।

(2) विद्यमान बोर्ड का उस कर्मचारी के, जो नियत दिन से पूर्व सेवा-निवृत्त हो गया है या सेवानुवृत्त कर दिया गया है, प्रतिभूति-निक्षेपों के सम्बन्ध में दायित्व पंजाब बोर्ड का दायित्व होगा ।

9. विद्यमान बोर्ड के नकद अतिशेष:— विद्यमान बोर्ड के नियत दिन के अव्यवहित पूर्व के अवशिष्टीय नकद अतिशेष पैरा 4 के उप-पैरा (3) के परन्तुक में यथानुध्यात लेखाओं में समायोजन करने के पश्चात् जनसंख्या के अनुपात में उत्तरवर्ती बोर्डों के बीच विभाजित किये जायेंगे ।

10. निलम्बनाधीन ऋण:—यदि किसी निलम्बनाधीन मद की बाबत अन्ततोगत्वा यह पाया जाता है कि वह इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों में से किसी में निर्दिष्ट प्रकार की आस्ति या दायित्व पर प्रभाव डालती है तो उसके संबंध में उस उपबन्ध के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

11. अवशिष्टीय उपबन्ध:—विद्यमान बोर्ड की किन्हीं आस्तियों या दायित्वों का, जिनसे इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों में बरता नहीं गया है, फायदों या भार प्रथमतः पंजाब बोर्ड को ऐसे वित्तीय समायोजन के अध्यधीन रहते हुए संक्रान्त होगा जिस पर मार्च, 1970 के 31 वें दिन से पूर्व सभी उत्तरवर्ती बोर्डों के बीच करार हो जाएँ, या ऐसे करार के अभाव में जैसा कि केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, निर्दिष्ट करे ।

12. आस्तियों और दायित्वों का करार द्वारा प्रभाजन:— जहाँ कि उत्तरवर्ती बोर्ड यह करार करते हैं कि किसी विशिष्ट आस्ति या दायित्व का फायदा या भार उनके बीच, इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों में उपबन्धित रीति से भिन्न रीति से प्रभाजित किया जाये तो, उसमें अन्तर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस आस्ति या दायित्व का फायदा या भार ऐसी रीति से प्रभाजित किया जायेगा जिस पर सहमति हो गई हो ।

13. विभाजन संपरीक्षित लेखाओं के आधार पर होगा:—विद्यमान बोर्ड की आस्तियों और दायित्वों का उत्तरवर्ती बोर्डों के बीच विभाजन संपरीक्षित लेखाओं के आधार पर, जैसा कि वे नियत दिन को थे, प्रभावी होगा ।

14. विधिक कार्यवाहियाँ:—जहाँ कि नियत दिन से अव्यवहित पूर्व विद्यमान बोर्ड, इस आदेश के अधीन उत्तरवर्ती बोर्ड को अन्तर्गत किसी सम्पत्ति, अधिकारों या दायित्वों के बारे में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों का पक्षकार है वहाँ उत्तरवर्ती बोर्ड के बारे में यह समझा जायेगा कि वह उन

कार्यवाहियों में एक पक्षकार के रूप में विद्यमान बोर्ड के लिये प्रतिस्थापित किया गया है और कार्यवाहियां तदनुसार चालू रहेंगी ।

15. **संविदाएं** :—जहां कि नियत दिन से अव्यवहित पूर्व विद्यमान बोर्ड ने कोई संविदा की थी वहां उस संविदा की बाबत यह समझा जायेगा कि :—

- (क) यदि संविदा के प्रयोजन नियत दिन से ही पंजाब राज्य से अनन्यतः सम्बद्ध किये जा सकते हैं तो, वह पंजाब बोर्ड द्वारा की गई है ;
- (ख) यदि संविदा के प्रयोजन नियत दिन से ही हरियाणा राज्य से अनन्यतः सम्बद्ध किये जा सकते हैं तो, वह हरियाणा बोर्ड द्वारा की गई है ;
- (ग) यदि संविदा के प्रयोजन नियत दिन से ही अन्तरित राज्यक्षेत्र से अनन्यतः सम्बद्ध किये जा सकते हैं तो, वह हिमाचल बोर्ड द्वारा की गई है ;
- (घ) यदि संविदा के प्रयोजन नियत दिन से ही चंडीगढ़ सब राज्यक्षेत्र से अनन्यतः सम्बद्ध किये जा सकते हैं तो, वह प्रशासक द्वारा की गई है ।
- (ङ) किसी अन्य दशा में, वह पंजाब बोर्ड द्वारा की गई है ; तथा सभी अधिकार या दायित्व जो ऐसी किसी संविदा के अधीन प्रोद्भूत हुए हैं या प्रोद्भूत हों, उस विस्तार तक जिस तक वे विद्यमान बोर्ड के अधिकार या दायित्व होते, यथास्थिति, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, हिमाचल बोर्ड और प्रशासक के अधिकार या दायित्व होंगे ।

भाग 4

सेवाओं सम्बन्धी उपबन्ध

16. **कर्मचारी बृन्द का आवंटन** :—विद्यमान बोर्ड के मुख्यालय के कार्यालय के कर्मचारीबृन्द, के सदस्य विद्यमान बोर्ड द्वारा उत्तरवर्ती बोर्डों को, कर्मचारियों के विकल्पों को यावत्संभव विचार में लेने के पश्चात्, आवंटित किये जायेंगे और नियत दिन की और से ऐसा व्यक्ति उस उत्तरवर्ती बोर्ड को अन्तरित किया गया समझा जायेगा जिसे वह आवंटित किया गया है ।

17. **उन्ही पवों पर व्यक्तियों का बना रहना** :—पैरा 16 में यथा उपबन्धित के सिवाय, व्यक्ति जो विद्यमान बोर्ड के कार्यकलाप के संसर्ग में किसी पद या पदस्थान को नियत दिन से अव्यवहित पूर्वधारण या उसके कर्तव्यों का निर्वहन किसी ऐसे क्षेत्र में कर रहा है जो उस दिन को या से उत्तरवर्ती बोर्डों में से किसी की अधिकारिता के भीतर आता है, उस बोर्ड को अन्तरित कर दिया गया समझा जायेगा और उत्तरवर्ती बोर्ड में उसी पद या पदस्थान को धारण करता रहेगा और उस दिन को या से, उस पद या पदस्थान पर उत्तरवर्ती बोर्ड में के समुचित प्राधिकारी द्वारा सम्यक्तः नियुक्त किया गया समझा जायेगा ।

18. **सेवा की गणना** :—(1) नियत दिन तक हर व्यक्ति द्वारा विद्यमान बोर्ड में की गई सेवा की गणना, पैरा 16 या पैरा 17 के अधीन उस व्यक्ति के उत्तरवर्ती बोर्ड को अन्तरित होने पर, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और सभी अन्य फायदों के लिए जिनका, ऐसे व्यक्ति द्वारा, नियत दिन के अव्यवहित पूर्व तक, उपभोग किया जाता था, उत्तरवर्ती बोर्ड के अधीन सेवा के रूप में की जायेगी :—

(2) इस पैरा की कोई भी बात उत्तरवर्ती बोर्ड के, पैरा 16 और 17 के अधीन उसे अन्तरित व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को, नियत दिन के पश्चात्, अवधारित करने के अधिकार को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जायेगी :—

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के मामले को नियत दिन से अव्यवहित पूर्व लागू सेवा की शर्तों में, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, ऐसे फेर-फार नहीं किया जायेगा, जिससे उसका अहित हो ।

भाग 8

अनुकूलन

19. अधिनियम में अनुकूलन और उपान्तरण.—अधिनियम, जब तक कि यह सक्षम विधान मंडल द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दिया जाये, एतदुपाबद्ध अनुसूची में किये गये अनुकूलनों या उपान्तरणों के अद्यधीन रहते हुए नियत दिन से ही प्रभावी होगा।

अनुसूची

(पैरा 19 देखिए)

पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 (1956 का पंजाब अधिनियम 40)

1. धारा 1 :—धारा 1 की उपधारा (2) के लिए निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

“(2) इसका विस्तार उन राज्यक्षेत्रों पर है जो नवम्बर, 1966 के प्रथम दिन से अद्यवहित पूर्व भूतपूर्व पंजाब राज्य में समाविष्ट थे।”

2. धारा 2 में, खण्ड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(ii) ‘अन्तरित राज्यक्षेत्र’ से वह राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 31) की धारा 5 की उपधारा (1) के आधार पर हिमाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र को अन्तरित किया गया था।”

3. धारा 2 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

“2क—अधिनियम में के कतिपय निर्देशों का अर्थान्वयन—इस अधिनियम के उपबन्धों को—

(1) हरियाणा राज्य को लागू करने के सम्बन्ध में, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित उसमें के किसी पद के प्रति किसी निर्देश का अर्थ उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित तत्स्थानी पद के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा।

सारणी

(1)	(2)
राज्य सरकार या सरकार	हरियाणा राज्य की सरकार
पंजाब राज्य, अधिनियम की धारा 1 में के सिवाय	हरियाणा राज्य
पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
शासकीय राजपत्र	हरियाणा सरकार का शासकीय राजपत्र

- (2) अन्तर्गत राज्यक्षेत्र को लागू करने के सम्बन्ध में, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित उसमें के किसी पद के प्रति किसी निवेश का अर्थ उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित तत्स्थानी पद के प्रति निवेश के रूप में लगाया जायेगा।

सारणी

(1)	(2)
राज्य सरकार या सरकार	हिमाचल प्रदेश का प्रशासक
पंजाब राज्य, अधिनियम की धारा 1 में के सिवाय	अन्तर्गत राज्यक्षेत्र
पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	हिमाचल खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
शासकीय राजपत्र	हिमाचल प्रदेश सरकार का शासकीय राजपत्र।

- (3) चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को लागू करने के सम्बन्ध में, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित उसमें के किसी पद के प्रति किसी निवेश का अर्थ उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित तत्स्थानी पद के प्रति निवेश के रूप में लगाया जायेगा।

सारणी

(1)	(2)
राज्य सरकार या सरकार	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासक
पंजाब राज्य, अधिनियम की धारा 1 में के सिवाय	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र
पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक
शासकीय राजपत्र	चंडीगढ़ प्रशासन का शासकीय राजपत्र

4. धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

3क. अन्तरिक्ष राज्यक्षेत्र की बाबत बोर्ड की शक्तियां—इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 (1966 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम 8) के अधीन गठित हिमाचल खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, धारा 3 के अधीन बोर्ड का गठन हो जाने तक, इस अधिनियम के अधीन गति बोर्ड समझा जायेगा और तदनुसार ऐसे बोर्ड के कृत्यों का पालन करेगा, कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और शक्तियों का प्रयोग करेगा।

33. चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के वाणिज्य बोर्ड की शक्तियाँ—इस अधिनियम में अन्तर्निष्ठ किसी बात के होते हुए भी, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक, बारा 8 के अन्वीक्ष्य बोर्ड का गठन हो जाने तक, इस अधिनियम के अन्वीक्ष्य गठित बोर्ड समझा जावेगा और तदनुसार ऐसे बोर्ड के कर्तव्यों का पालन करेगा, फलस्वरूपों का निर्वाहन करेगा और अन्वीक्ष्यों का प्रयोग करेगा” ।

[इ.स. 17/107/66—एच.आर.]

के. आर. प्रभु, संयुक्त सचिव ।